

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पटमदा

आदेश-फलक

अतिक्रमण वाद संख्या 09 / 2023-24

तिथि

आदेश तथा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
पर की
गई
कार्रवाई

16.11.23

पटमदा अंचल के अंतर्गत ग्राम-पोकलाबेड़ा के अनावाद झारखण्ड सरकार किस्म जमीन पुरानी परती भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन राजस्व उप निरीक्षक -सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन ट्रेस नक्शा के साथ कार्यालय में प्रस्तुत किया है। अतिक्रमित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	अतिक्रमणकारी काना	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	अतिक्रमण का प्रकार
1	सनातन माझी पिता हपन माझी ग्राम पोकलाबेड़ा	पोकलाबेड़ा	139	594	1551	0.01 एकड़	झोपडी

अतः बिहार/झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा - 3 के अधीन अतिक्रमणकारी को विहित प्रपत्र में कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें। क्यों नहीं अतिक्रमित भूमि का उच्छेदन करने की कार्रवाई की जाय।

अभिलेख दिनांक 30.11.23 को उपस्थापित करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी
पटमदा

अंचल अधिकारी
पटमदा।